झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

(CIN : U40108JH2013SGC001603)

निगम कार्यालय : *अभियंत्रण भवन, एच०ई०सी०, धुर्वा, राँची–4*

पत्रांक ..... दिनांक .....

I/JUVNL/New Cadre Rule-176/2025

प्रेषक,

सुनील दत्त खाखा, झा०प्र०से०
महाप्रबन्धक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन)
झा०ऊ०वि०नि०लि०

DGM(II)
13/05/2025

सेवा में,

निदेशक (राजस्व), झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड।
सभी कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी निगम।
वरीय विधि परामर्शी–सह–अपर सचिव, नेपाल हाऊस, राँची।
सभी महाप्रबन्धक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी निगम।
सभी उप महाप्रबन्धक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी निगम।
परियोजना प्रबन्धक, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, सिकिदिरी।
उप महाप्रबन्धक–सह–आवसीय अभियन्ता, समपर्क कार्यालय, नई दिल्ली।
प्रशासक, शेष परिसम्पत्ति, पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान, पतरातू।

Addl EE(IT) 13/05/25

विषयः झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी निगमों के लिए नये संवर्ग नियमावली के गठन के सम्बन्ध में।

Hc Amend 13/05/25

महाशय,

निर्देशानुसार, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय आदेश संख्या 16 दिनांक 13.01.2025 द्वारा झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी निगमों के लिए नियुक्ति/प्रोन्नति/अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी नियमावली बनाने हेतु समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड ने अपने पत्रांक 346 दिनांक 20.03.2025 द्वारा विद्युत अभियन्ता (वितरण), विद्युत अभियन्ता (जी०टी०ओ०), कनीय विद्युत अभियन्ता (वितरण) एवं कनीय विद्युत अभियन्ता (जी०टी०ओ०) के संवर्ग नियमावली का प्रारुप समर्पित किया है।

संवर्ग नियमावलियों को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाने के पूर्व संवर्ग नियमावलियों को निगम के website – https://jbvnl.co.in के Internal Management Circular Portal (https://jbvnl.co.in/imc) पर दिनांक 08.05.2025 को upload कर दिया गया है, जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी दी जा रही है।

उपरोक्त संवर्ग नियमावलियों में अंकित तथ्यों एवं प्रावधानों के विरुद्ध आपको अथवा आपके अधिनस्थ पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को यदि कोई आपत्ति हो तो निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इसकी सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें :–

1) मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारी/ कर्मचारी को यदि कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति (संबंधित स्पष्ट बिन्दुवार साक्ष्य/ दस्तावेज के साथ) लिखित अथवा ईमेल के माध्यम से संबंधित उप महाप्रबन्धक/ विद्युत अधीक्षण अभियन्ता/ महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता को प्रेषित करेंगे।
2) संबंधित उप महाप्रबन्धक/ विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, प्राप्त आपत्तियों का संकलन करते हुए (जो स्पष्ट बिन्दुवार साक्ष्य/ दस्तावेज के साथ हों) उसे ईमेल/ पत्र के माध्यम से संबंधित महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता को अग्रसारित करेंगे, जो आपत्तियों में साक्ष्य का मुल्यांकन/ आकलन करते हुए संबंधित महाप्रबन्धक (मा०सं०) को प्रेषित करेंगे।

कृ०पृ०उ०

महाप्रबन्धक (आई०टी०) प्रकोष्ठ,
झा०वि०नि०लि०, राँची
नि० सं० 620 दिनांक 09/05/25

3) तदोपरान्त सभी क्षेत्रीय/ मुख्यालय के महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता के द्वारा संकलित की गई आपत्तियों को उनके द्वारा संबंधित महाप्रबन्धक (मा०सं०) को ईमेल/ पत्र के माध्यम से सूचना प्रेषित करेंगे।

4) मुख्यालय स्तर के शेष वरीय पदाधिकारी यथा निदेशक/ कार्यकारी निदेशक/ वरीय विधि परामर्शी–सह–अपर सचिव एवं प्रशासक, शेष परिसम्पत्ति, पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान, पतरातू अपनी अथवा अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों/ कर्मचारियों से प्राप्त आपत्तियों को सीधे संबंधित महाप्रबन्धक (मा०सं०) को प्रेषित करेंगे।

5) अनुषंगी निगम के सभी महाप्रबन्धक (मा०सं०), चुँकि वे मानव संसाधन के वरीयतम पदाधिकारी हैं, सभी आपत्तियों की Genuineness की जाँच करते हुए, इसे उपरोक्त पोर्टल पर सीधे अथवा अपने प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से इसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

आपत्तियों को पोर्टल पर upload करने में कठिनाई उत्पन्न होने पर महाप्रबन्धक (आई०टी०), झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से सम्पर्क स्थापित करेंगे।

6) पोर्टल का ID एवं password सभी प्रबन्ध निदेशक तथा महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) को उनके Whatsapp पर पत्र निर्गत होने के पश्चात प्रेषित कर दिया जायेगा।

7) आपत्ति निम्नलिखित प्रपत्र के अनुरुप दर्ज किया जाय :–

क्र०	आपत्तिकर्ता का नाम/ पदनाम/ पदस्थापन स्थल	किस संवर्ग नियमावली के किस बिन्दु (Clause) के विरुद्ध आपत्ति है	आपत्ति क्या है? आपत्ति का विवरण	आपत्ति से संबंधित साक्ष्य/ आधार/ दस्तावेज	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1)					
2)					
3)					

- **नोट :– आपत्ति के सम्बन्ध में साक्ष्य/ आधार/ दस्तावेजों को संलंन करना आवश्यक है।**

उपरोक्त सभी कार्रवाई, पत्र निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर पूर्ण कर लिया जाना अपेक्षित है। समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी महाप्रबन्धक (मा०सं०) क्षेत्रीय अथवा मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों से व्यक्तिगत अथवा दुरभाषीय सम्पर्क स्थापित कर कार्य को पूर्ण करने का सार्थक प्रयास करेंगे।

इसमें अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम का आदेश प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
(सुनील दत्त खाखा)
महाप्रबन्धक (का०–सह–सा०प्रशा०)

ज्ञापांक 517 दिनांक 08-05-2025

प्रतिलिपि महाप्रबन्धक (आई०टी०), झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संवर्ग नियमावली का प्रारुप को निगम की website – https://jbvnl.co.in पर upload किया जाय।

8.5.2025
(सुनील दत्त खाखा)
महाप्रबन्धक (का०–सह–सा०प्रशा०)

आपत्ति दर्ज करने से संबंधित प्रपत्र (Performa)

क्र०	आपत्तिकर्ता का नाम/ पदनाम/ पदस्थापन स्थल	किस संवर्ग नियमावली के किस बिन्दु (Clause) के विरुद्ध आपत्ति है	आपत्ति क्या है? आपत्ति का विवरण	आपत्ति से संबंधित साक्ष्य/ आधार/ दस्तावेज	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1)					
2)					
3)					

- नोट :– आपत्ति के सम्बन्ध में साक्ष्य/ आधार/ दस्तावेजों को संलंन करना आवश्यक है।